प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं0

1. जिला ओपी एसीबी, विअनुई. जयपुरथाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यू0 जयपुर वर्ष 2022.......
प्र0इ0रि0 सं. 356/2022..........................दिनांक 10/9/2022

2. (I) * अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण **(संशोधन)अधि. 2018**.......... धारायें..........**7,7ए**
(II) * अधिनियम ....**भा. दं. सं**................धारायें ....120 बी......................
(III) * अधिनियम .... धारायें ....
(IV) * अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या ....179............ समय 5:30 P.M.
(ब) * अपराध घटने का वार.....**शुक्रवार**....दिनांकः–09.09.2022 समय 11:40 ए.**एम से**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक **06.09.2022**

4. सूचना की किस्म :– लिखित / मौखिक–**लिखित**

5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–
(ब)*पता........ ....
....बीट संख्या..........................जयरामदेही सं................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना ....जिला ....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम **श्री मुकेश राज** ....
(ब) पिता / पति का नाम ....**श्री आदेश कुमार**
(स) जन्म तिथी / वर्ष वर्ष............**उम्र .....46... साल**...
(द) राष्ट्रीयता ....**भारतीय**..
(य) पासपोर्ट संख्या ....जारी होने की तिथि ....
जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय ....

(ल)पता – ई–576, लालकोठी योजना, जयपुर।

7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –

1–श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अनिल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 21 साल पैशा सर्वेयर फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड निवासी ग्राम पोस्ट लालवास तहसील जमवारामगढ पुलिस थाना आंधी जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल सर्वेयर, (एम्पलॉयी कोड– SSPL 003853)फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी–52, केशव एन्कलेव, लालकोठी, जयपुर।

2–श्री रोहिताश मीणा पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा जाति मीणा उम्र 21 साल पैशा सर्वेयर फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड निवासी ग्राम पोस्ट बाढ रसूलपुरा पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल सर्वेयर, (एम्पलॉयी कोड– SSPL 003821)फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी–52, केशव एन्कलेव, लालकोठी, जयपुर।

8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–...

9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).**रिश्वती राशि 20,000/— रूपये,**

10. * चुराई हुई/ लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... **रिश्वती राशि 20,000/—रूपये**

11. * पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :—

दिनांक 06.09.2022 को समय करीब 04.10 पीएम पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रनिब्यूरो, जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय में बुलाकर अपने समक्ष बैठे व्यक्ति का परिचय परिवादी श्री मुकेश राज पुत्र श्री आदेश कुमार उम्र—46 साल निवासी—ई—576, लालकोठी योजना जयपुर के रूप में करवाकर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही हेतु पृष्ठांकित आदेश प्रदान किये। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस उक्त परिवादी श्री मुकेश राज को हमराह लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो पाया कि परिवादी ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि "मेरा B-61 B प्लॉट वेद—विला कालोनी स्वेज फार्म रामनगर सोडाला मे है जिसमें मे एक इलेक्ट्रोनिक्स सर्विस सेन्टर चलाता हुँ तथा उसके प्रथम व एवम द्वितीय मंजिल पर आवासीय कमरे बने हुए हैं। दिनांक 6/9/2022 को दो कर्मचारी जो अपने आपको नगर निगम का सर्वेयर बता रहे हैं और उन्होंने फोन करके बताया कि हम आपके मकान के यूडी टैक्स के लिए आपके पास आये थे जिसके लिए आपसे मिलना हैफिर मैंने उनसे कहा कि आप बताओ तो वो बोले कि आप का उक्त मकान व्यावसायिक यूडी टैक्स में आ रहा है जिसको हम घरेलू यू डी टैक्स में परिवर्तन कर देगें जिसके लिए मेरे से 40000 (चालीस हजार रूपये) रिश्वत की मॉगी गयी मेने उनसे उनका नाम पूछा तो समय सिंह गुर्जर बताया तथा मुझे जिस मोबाईल नं0 से फोन किया वह नम्बर है 9672041023 बताया तथा दूसरे ने अपना नाम बाबुलाल बताया तो मेने पूछा नगर निगम मे हो क्या किस पद पे हो तो वे बोले हम नगर निगम में ही है तथा हम यूडी टैक्स सर्वेयर है मेने पूछा हॉ बताओ क्या करना है तो मेरे को चालीस हजार रूपये रिश्वत की मॉग कर यूडी टैक्स माफ करने बाबत कहा में रिश्वत नही देकर इनको रगे हाथों पकडवाना चाहता हुँ मेरा इनसे पहले का कोई लेन—देन भी बकाया नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करे।" जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया जाकर परिवादी श्री मुकेश राज से मजीद दरियाफ्त की गई। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग सत्यापन का पाया जाने पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व रिश्वत मांग सत्यापन की आवश्यकता है। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री मनीष सिंह कानि0 486 से परिवादी का परिचय करवाकर उक्त कानि0 से कार्यालय से डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर का खाली होना सुनिश्चित किया गया, डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की प्रक्रिया की परिवादी को आवश्यक समझाईस की गई। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति कल दिनांक 07.09.2022 को मुझसे मेरे कार्यालय पर आकर वार्ता करेगा। जिस पर कानि0 श्री मनीष सिंह को हिदायत हुई की कल दिनांक 07.09.2022 को परिवादी से सम्पर्क कर उसके बताये अनुसार उसके कार्यालय पर पहुंचकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर नियमानुसार गोपनीय सत्यापन करावें। तत्पश्चात दिनांक 07.09.2022 को मामले का सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हुई वार्ता को सुनने पर तथा परिवादी द्वारा वार्ता के सम्बंध में बताने पर संदिग्ध कर्मचारियों द्वारा परिवादी श्री मुकेश राज के मकान के नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) की गणना व्यावसायिक भवन के रूप में नहीं कर आवासीय भवन के रूप में कर नगरीय विकास कर कम करने के ऐवज में 40,000/—रूपये के अनुचित लाभ की मांग किया जाना सत्यापित हुआ। तत्पश्चात दिनांक 08.09.2022 को मामले में अग्रिम कार्यवाही हेतु कानि0 श्री दिपेन्द्र सिंह 365 को भेजकर दो स्वतंत्र गवाहन तलब करवाये जाने पर स्वतंत्र गवाहान श्री अजय कुमार स्वामी, वरिष्ठ लेखाकार एवं श्री दीपक शेवानी, सहायक लेखाधिकारी, डाक लेखा भवन, झालाना डुंगरी जयपुर उपस्थित आये। जिन्हें आईन्दा सूचित करने पर गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत की गई।

दिनांक 09.09.2022 को परिवादी एवं गवाहान उपस्थित ब्यूरो कार्यालय आये। संदिग्ध कर्मचारी श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा परिवादी श्री मुकेश राज से पुनः सम्पर्क करने पर परिवादी द्वारा मन् उप अधीक्षक पुलिस को सूचित किया गया जिस पर परिवादी को तुरन्त रिश्वत राशि की व्यवस्था करने की हिदायत की गई। दोनों स्वतंत्र गवाहान से परिवादी का परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया गया। तत्पश्चात दोनों गवाहान से परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही के सम्बंध में अवगत कराया जाकर कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान के तौर पर उपस्थित रहने बाबत सहमति चाही गई तो दोनों गवाहान ने अपनी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात दोनों गवाहान ने परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक द्वारा परिवादी को संदिग्ध कर्मचारी को दी जाने वाली रिश्वत राशि के सम्बंध में कहने पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री मुकेश राज ने अपने पास से संदिग्ध को दी जाने वाली रिश्वती राशि 20,000/–रूपये जिनमें पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल बीस हजार रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। इन नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किये गये। इन नोटो के नम्बर फर्द में अंकित कर स्वतंत्र गवाहान से मिलान करवाया गया। कार्यालय में उपस्थित श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक टेबल पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त पांच–पांच सौ रूपये के 40 नोटों पर श्री हिमान्शु शर्मा, कनिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री दीपक शेवानी, सहायक लेखाधिकारी से परिवादी श्री मुकेश राज की जामा तलाशी लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गयी। श्री हिमांन्शु शर्मा से परिवादी के शर्ट के उपर की बांयी जेब में उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त 20,000/–रू. संदिग्ध कर्मचारी/अधिकारी को देने हेतु रखवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पाउडर तथा सुपुर्दगी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर अलग से मूर्तिब कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री मुकेश राज के साथ परिवादी के निजी वाहन में उपरोक्त मौतबिरान के साथ कानि0 श्री मनीष सिंह नं0 486 को मुनासिब हिदायत कर ब्यूरो मुख्यालय से रवाना कर उनके पीछे–पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय श्री रघुवीरशरण, पुलिस निरीक्षक, कानि. श्री अमित ढाका नं0 489, श्री सुभाष कानि0 465, श्री कमलेश कानि0 293 एवं महिला कानि0 श्रीमती निधि नं0 86 मय लेपटॉप, ट्रैप बॉक्स मय सरकारी वाहन मय चालक तथा स्वयं के निजी वाहन के ब्यूरो मुख्यालय से रवाना होकर समय 12:10 पीएम पर परिवादी के सर्विस सेन्टर (पेनासोनिक तथा टीसीएल कम्पनी) के कार्यालय मकान नम्बर बी, 61–बी, वेदविला कॉलोनी, स्वेज फॉर्म, रामनगर विस्तार, सोडाला, जयपुर से कुछ दूरी पहले ही रूककर परिवादी को डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की प्रकिया की आवश्यक समझाइस कर बाद हिदायत डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी से वार्ता करने हेतु उसके कार्यालय मकान नम्बर बी, 61–बी, वेदविला कॉलोनी, स्वेज फॉर्म, रामनगर विस्तार, सोडाला, जयपुर हेतु रवाना किया तथा परिवादी के पीछे–पीछे श्री रघुवीर शरण, निरीक्षक पुलिस, श्री मनीष सिंह कानि0 तथा स्वतंत्र गवाहान को उक्त मकान/कार्यालय के आस–पास रहकर निगरानी रखने हेतु रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाब्ता गाडियों को कुछ दूरी पर खडा कर आस–पास ही अपनी उपस्थिति छुपाते हुये परिवादी के पूर्व निर्धारित इशारे के इंतजार में मुकीम रहे। कुछ समय पश्चात परिवादी के उक्त कार्यालय पर एक व्यक्ति मोटरसाईकिल लेकर आया तथा परिवादी के कार्यालय में जाकर परिवादी से वार्ता करने लगा। तत्पश्चात कुछ ही समय में वह व्यक्ति दो–तीन बार परिवादी से वार्ता के दौरान उक्त कार्यालय से बाहर आकर रोड की तरफ निकलकर आम रास्ते में तस्दीक करते हुये पुनः परिवादी के कार्यालय में प्रवेश कर वार्ता करने लग गया। कुछ समय पश्चात उक्त संदिग्ध व्यक्ति परिवादी के कार्यालय से बाहर निकलकर अपनी मोटरसाईकिल पर बैठकर रवाना होने लगा जिसके पीछे–पीछे परिवादी भी अपनी गाडी से रवाना हुआ। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने श्री रघुवीरशरण, पुलिस निरीक्षक मय कानि0 श्री मनीष सिंह को परिवादी के वाहन के पीछे–पीछे रवाना किया एवं मन् उप अधीक्षक पुलिस भी मय टीम के रवाना हुआ। तत्पश्चात उक्त संदिग्ध कर्मचारी उक्त कोलोनी के रोड पर अपनी मोटरसाईकिल खडी कर परिवादी की गाडी में बेठ गया। कुछ ही समय पश्चात् परिवादी ने कानि0 श्री मनीष सिंह को अपनी गाडी से संदिग्ध व्यक्ति की ईशारा किया जिस पर श्री

मनीष सिंह कानि. ने अपने मोबाईल फोन से मेरे फोन पर फोन कर मन् उप अधीक्षक पुलिस को अवगत कराया। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने संदिग्ध कर्मचारी को डिटेन करने के निर्देश दिये। इसी दौरान संदिग्ध व्यक्ति परिवादी की गाडी से उतरकर अपनी मोटरसाईकिल को स्टार्ट कर रवाना होने लगा। जिस पर श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक, मय कानि0 श्री मनीष सिंह ने परिवादी को अपना परिचय देकर रूकवाया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय उपरोक्त मौतबिरान मय जाब्ता भी संदिग्ध के पास पहुंचा तथा मोटरसाईकिल पर बैठे उक्त व्यक्ति को स्वयं एवं हमराहीयान का परिचय देकर आने का प्रयोजन बताते हुये उक्त व्यक्ति का परिचय पूछा तो उसने अपना नाम श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अनिल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 21 साल पैशा सर्वेयर फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड निवासी ग्राम पोस्ट लालवास तहसील जमवारामगढ पुलिस थाना आंधी जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल सर्वेयर, (एम्पलॉयी कोड– SSPL 003853)फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी–52, केशव एन्कलेव, लालकोठी, जयपुर होना बताया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उपरोक्त मौतबिरान के समक्ष उक्त संदिग्ध श्री महेश कुमार शर्मा को परिवादी से अभी ली गई रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर पहले तो संदिग्ध श्री महेश कुमार शर्मा घबरा गया। फिर तसल्ली देकर पूछने पर संदिग्घ श्री महेश कुमार शर्मा ने बताया कि श्री मुकेश राज के मकान के नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) की गणना व्यावसायिक भवन के रूप में नहीं कर आवासीय भवन के रूप में कर नगरीय विकास कर कम करने की एवज में 20,000/– रूपये लिये है, जो मेरी पहनी हुई जिंस पेंट की पीछे की जेब में रखे है। चूंकि मौके पर आम रास्ता होने के कारण लोगों की आमद रफत अधिक है तथा लोगों की भीड भी एकत्रित है तथा अग्रिम कार्यवाही हेतु एकान्त स्थान की आवश्यकता होने पर मन् उप अधीक्षक पुलिस संदिग्ध श्री महेश कुमार शर्मा को सरकारी वाहन में बैठाकर उसके दोनों तरफ कानि0 श्री मनीष सिंह तथा गवाह श्री दीपक शेवानी को बिठाकर परिवादी के उक्त कार्यालय पर पहुंचा। हमराहियान जाब्ता भी उक्त कार्यालय पर पहुंचा। जहां पर परिवादी श्री मुकेश राज उपस्थित मिला जिसने पूर्व से सुपुर्दशुदा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द किया, जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने उक्त डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को बंद कर अपने पास रखा। तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेश राज ने संदिग्ध श्री महेश कुमार शर्मा की ओर ईशारा कर बताया कि यही वह सर्वेयर है जिसने मेरे से अभी कुछ देर पहले मेरे मकान के नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) की गणना व्यावसायिक भवन के रूप में नहीं कर आवासीय भवन के रूप में कर नगरीय विकास कर कम करने की एवज में 20,000/– रूपये लिये है। इन्होंने तथा इनके साथी ने पूर्व में मुझसे उपरोक्त कार्य के लिये 40,000/– रूपये मांगे थे। अभी कुछ देर पहले इन्होंने मुझसे मेरे कार्यालय में वार्ता कर उक्त रूपये पीछे–पीछे आकर मुझे देने के लिये कहा जिस पर मैं इनकी मोटरसाईकिल के पीछे–पीछे मेरी गाडी लेकर गया थोडी दुर जाने के बाद अपनी मोटरसाईकिल खडी कर मेरी गाडी में आकर बैठ गये तथा मुझे रूपये देने के लिये कहने पर मैंने उक्त राशि इसको दे दी जिस पर इन्होंने उक्त रिश्वत राशि अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी पहनी हुई जिंस पेंट की पीछे की बांयी जेब में रखकर मेरी गाडी से उतरकर अपनी मोटरसाईकिल पर जाने लगा। तब मैंने हाथ से श्री मनीष सिंह जी की तरफ ईशारा कर दिया। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने संदिग्ध श्री महेश कुमार शर्मा को परिवादी से सम्बंधित कार्य के सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि मैं स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड में सर्वेयर का कार्य करता हूं। उक्त कम्पनी नगर निगम ग्रेटर से अनुबंधित है। हमारा कार्य नगरीय विकास कर से सम्बंधित सर्वे करना है। श्री मुकेश राज द्वारा अपने मकान में व्यावसायिक कार्य किया जा रहा है तथा इनके द्वारा कोई नगरीय विकास कर का भुगतान नहीं किया जा रहा था। जिसके लिये मैंने इनको नगरीय विकास कर भुगतान करने के लिये कहा था। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष संदिग्ध श्री महेश कुमार शर्मा को परिवादी के नगरीय विकास कर जमा नहीं करवाने के सम्बंध में कोई नियमानुसार पेनल्टी, फीस अथवा चार्ज देय होने के सम्बंध में पूछा तो उसने बताया कि व्यावसायिक मकान का डीएलसी रेट के अनुसार नगरीय विकास कर देय होता है इस मकान का कितना कर होता है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। अगर इस मकान को आवासीय मकान बता दिये जाये तो इसका कोई कर जमा नहीं करवाना पडता क्योंकि 300 वर्ग गज आवासीय मकान का कोई टेक्स देय नहीं होता है। तत्पश्चात परिवादी श्री मुकेश राज द्वारा बताये गये तथ्यों की पुष्टि हेतु एक प्लास्टिक की बोतल में पीने का स्वच्छ पानी मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासो में भरकर उनमें एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर प्रक्रियानुसार मिश्रण तैयार कर उपस्थितगण को दिखाया गया। मौके पर उपस्थित सभी ने उक्त मिश्रण को रंगहीन होना बताया। इसके बाद

(4)

एक गिलास के मिश्रण में आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा, सर्वेयर के दाहिने हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर हल्का गुलाबी हो गया, जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सील मोहर कर चिटचस्पा कर मार्क R-1 व R-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। इस प्रकार दूसरे गिलास के तैयारशुदा मिश्रण में आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा, सर्वेयर के बांये हाथ की अगुलियों एवं अंगुठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचिट कर मार्क L-1 व L-2 से चिन्हित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर बाद शील्डमोहर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके बाद परिवादी के बताये अनुसार स्वतंत्र गवाह श्री दीपक शेवानी से आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा के पहनी हुई जिंस पेन्ट के पीछे की बांयी जेब से 500-500 रूपये के नोट बरामद होना बताया, जिनको स्वतंत्र गवाह से गिनवाया गया तो 500-500 रूपये के कुल 40 नोट कुल 20,000/- रूपये बरामद हुये। जिनको दोनों स्वतंत्र गवाहान से चैक करवाकर उक्त नोटों के नम्बरो का मिलान फर्द पेशकशी एवं दृष्टान्त फिनॉथलीन पावडर सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो सभी नोटों के नम्बर हूबहू पाये गये।

तत्पश्चात आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा के पहनी हुई जिंस पेन्ट के बांयी जेब से बरामदशुदा रिश्वती राशि 20,000/-रू0 को एक कागज की चिट में सिलकर सीलमोहर कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा के लिये दूसरी पेन्ट की व्यवस्था कर आरोपी की पहनी हुई जिस जिंस पेन्ट को उतरवाया जाकर दूसरी पेंट पहनाई गई। तत्पश्चात एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया गया, जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल को हाजरीन को दिखाया गया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त कांच के गिलास के घोल में आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा की उतरवायी गई जिंस पेन्ट की पीछे की बांयी जेब को उलटवाकर गिलास में सोडियम कार्बोनेट के तैयार घोल में डूबोकर नियमानुसार धोवन लिया गयो तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरकर सीलचीट चस्पा कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क P-1 व P-2 अंकित किया गया। उसके बाद आरोपी की जिंस पेन्ट की बांयी जेब को सुखाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर जिंस पेन्ट को एक कपड़े की थैली में सीलमोहर कर मार्क 'P' अंकित कर पैकेट पर भी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी की जामा तलाशी के दौरान आरोपी के गले में उसकी फर्म तथा नगर निगम ग्रेटर, जयपुर ग्रेटर का जारीशुदा एक आईडी कार्ड भी बरामद हुआ। जिसके फिते पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर तथा स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तथा कार्ड पर महेश कुमार शर्मा का नाम तथा एम्पलॉयी आईडी कोड SSPL 003853 अंकित है तथा उक्त आईडी कार्ड प्लास्टिक के कवर में है। उक्त आईडी कार्ड के फिते पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के हाथ में पकड़ रखे कागजों के सम्बंध में आरोपी को पूछने पर उसने स्व कर निर्धारण सह भूमि/भवन सर्वे फार्म (सर्वे फार्म) होना बताया। जिनका अवलोकन करने पर प्रथम फार्म पर अंजना राज/मुकेश राज का फार्म होना पाया गया तथा इसके अतिरिक्त भी कुल छः ओर फार्म भी आंशिक तौर पर भरे होना पाया जिनके बारे में आरोपी ने बताया कि इनका मेरे द्वारा सत्यापन कर भरे गये है। आरोपी ने बताया कि हम सर्वेयर द्वारा यह फार्म भरकर हमारे अधिकारी समय सिंह गुर्जर को प्रस्तुत किये जाते है। उसके बाद श्री समय सिंह गुर्जर कम्पनी में जमा करवाते है। श्री समय सिंह गुर्जर टीएल (टीम लीडर) के पद पर पदस्थापित है। उक्त फॉर्म के अलावा कुछ ओर खाली फार्म भी होना पाया गया। तत्पश्चात उक्त समस्त फार्मो पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये।

रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा परिवादी से उसके मकान के नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) की गणना व्यावसायिक भवन के रूप में नहीं कर आवासीय भवन के रूप में कर नगरीय विकास कर कम करने की एवज में 40,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की गई, जिसके सन्दर्भ में आरोपी को पूछने पर उसने बताया कि उक्त दिनांक 07.09.2022 को मैं तथा मेरे साथ श्री रोहिताश मीणा आये थे। श्री रोहिताश मीणा भी मेरी ही फर्म में सर्वेयर है। वह भी फर्म की ओर से सर्वे करने का कार्य करता है। उस समय हम दोनों ने ही इनके मकान के नगरीय विकास कर की गणना कर राशि बताई थी। जिस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा से उक्त रिश्वत राशि किसके लिये

प्राप्त की, के बारे में पूछने पर उसने बताया कि यह राशि मैंने मेरे लिये तथा श्री रोहिताश मीणा के लिये ली है क्योंकि वह भी मेरे साथ ही सर्वे करता है तथा उसको भी इसकी पूरी जानकारी है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा के साथ एक लडका ओर आया था वह भी उस दिन मुझे मेरे मकान के टेक्स की गणना कर मुझसे रिश्वत की मांग की थी। जिस पर आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा को संदिग्घ श्री रोहिताश मीणा के बारे में पूछने पर बताया वह भी पास में ही होगा क्योंकि वह भी आस-पास में ही सर्वे कर रहा है। तत्पश्चात दौराने कार्यवाही समय 02:25 पीएम पर संदिग्ध श्री रोहिताश मीणा के मोबाईल नम्बर 9358524136 (जो आरोपी के मोबाईल में रोहिताश के नाम से अंग्रेजी में सेव है।) से आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा के मोबाईल पर फोन आया। जिस पर आरोपी को संदिग्ध से अपने फोन को लाउड स्पीकर पर वार्ता करने की हिदायत कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड किया गया किन्तु दोनों के मध्य कोई वार्तलाप नहीं हुआ, तथा समय 02:28 पीएम पर पुनः संदिग्ध श्री रोहिताश मीणा का कॉल आरोपी के फोन पर आने से पुनः उसके फोन को लाउड स्पीकर पर करवाकर वार्ता करवाई जाकर उसको डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। तत्पश्चात संदिग्ध श्री रोहिताश मीणा के बताये अनुसार परिवादी के साथ उसकी गाडी में श्री रघुवीर शरण, निरीक्षक पुलिस तथा कानि0 श्री मनीष सिंह को बाद हिदायत संदिग्ध को डिटेन कर लाने हेतु रवाना किया।

कुछ समय उपरान्त श्री रघुवीर शरण, पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के संदिग्ध श्री रोहिताश मीणा के साथ हाजिर आये तथा बताया कि आरोपी से संदिग्ध श्री रोहिताश मीणा की फोन पर हुई वार्ता के अनुसार संदिग्ध श्री रोहिताश मीणा स्वेज फार्म के चौराहे पर सडक के किनारे उपस्थित मिला, जिसे मैंने अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर अपना प्रयोजन बताकर हमराह लेकर आया हूं। तत्पश्चात मौके पर उपस्थित परिवादी ने भी बताया कि यह ही वह व्यक्ति है जो आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा के साथ आया था तथा मुझसे इसने आरोपी के साथ ही मेरे मकान के नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) की गणना व्यावसायिक भवन के रूप में नहीं कर आवासीय भवन के रूप में कर नगरीय विकास कर कम करने की एवज में 40,000/- की रिश्वत की मांग की थी। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त संदिग्ध श्री रोहिताश मीणा को अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर उसका पूरा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री रोहिताश मीणा पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा जाति मीणा उम्र 21 साल पैशा सर्वेयर फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड निवासी ग्राम पोस्ट बाढ रसूलपुरा पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल सर्वेयर, (एम्पलॉयी कोड- SSPL 003821)फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी-52, केशव एन्कलेव, लालकोठी, जयपुर होना बताया। जिस पर उक्त को परिवादी से पूर्व में रिश्वत मांग सत्यापन के समय की गई रिश्वत मांग के बारे में पूछने पर संदिग्ध श्री रोहिताश मीणा घबराकर चुप हो गया। तत्पश्चात पुनः पूछने पर उसने बताया कि मैंने तथा श्री महेश कुमार शर्मा ने श्री मुकेश राज से उसके मकान के नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) की गणना व्यावसायिक भवन के रूप में नहीं कर आवासीय भवन के रूप में कर नगरीय विकास कर कम करने के बदले में 40,000/- रूपये मांगे थे परन्तु मैंने इनसे कोई राशि नहीं ली है।

जिस पर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को चलाकर सरसरी तौर पर सुना गया तो उक्त वार्ता में संदिग्ध श्री राहिताश मीणा द्वारा रिश्वत की मांग करने की भी पुष्टि हुई। उक्त वार्ता में आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा स्वयं को समय सिंह गुर्जर होना बताया जाना पाया गया। जिसके सम्बंध में परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा ने उस समय मुझे अपना नाम समय सिंह गुर्जर ही बताया था। इस सम्बंध में आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा को पूछने पर उसने बताया कि मैंने जानबुझकर ही मेरा नाम समय सिंह गुर्जर बताया था। तत्पश्चात परिवादी द्वारा प्रस्तुत डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को सरसरी रूप से चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। जिसकी आईन्दा फर्द ट्रांसस्क्रिप्शन तैयार करने हेतु सुरक्षित ट्रैप बाक्स में रखा गया। तत्पश्चात आरोपी ने पूछने पर स्वयं द्वारा लाई गई मोटरसाईकिल नं0 आरजे 14 केपी 5502 (हीरो एच्एफ डिलक्स बरंग लाल) अपने मित्र श्री रोहिताश मीणा की होना बताया। तत्पश्चात आरोपी श्री रोहिताश मीणा, सर्वेयर की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दीपक शेवानी से लिवाई गई तो आरोपी के पास उसकी फर्म का आईडी कार्ड, जिसके फिते पर नगर निगम ग्रेटर, जयपुर तथा स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड लिखा हुआ है तथा कार्ड पर श्री रोहिताश मीणा का नाम तथा एम्पलॉयी आईडी कोड SSPL 003821 अंकित है तथा उक्त आईडी कार्ड प्लास्टिक के कवर में है। उक्त आईडी कार्ड

के फिते पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। इसके अतिरिक्त आरोपी के हाथ में रखे गये कागजों के सम्बंध में आरोपी को पूछने पर उसने स्व कर निर्धारण सह भूमि/भवन सर्वे फार्म (सर्वे फार्म) होना बताया। जिनके बारे में आरोपी ने बताया कि इनका मेरे द्वारा सत्यापन कर भरे गये है। आरोपी ने बताया कि हम सर्वेयर द्वारा यह फार्म भरकर हमारे अधिकारी समय सिंह गुर्जर को प्रस्तुत किये जाते है। उसके बाद श्री समय सिंह गुर्जर कम्पनी में जमा करवाते है। उक्त फॉर्मों में कई फार्म भरे हुए तथा कई खाली है। तत्पश्चात उक्त समस्त फार्मों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिये गये।

चूंकि आरोपीगण श्री महेश कुमार शर्मा तथा श्री रोहिताश मीणा, सर्वेयर के तौर पर स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड में कार्यरत होना तथा उक्त फर्म स्पैरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड नगर निगम ग्रेटर, जयपुर से अनुबंधित होना पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त फर्म को नगर निगम ग्रेटर, जयपुर के क्षेत्राधिकार में नियमानुसार सर्वे हेतु अनुबंधित शर्तों के अनुसार मानदेय/चार्ज दिया जाता है तथा इसी के अनुक्रम में फर्म द्वारा भी सर्वे करने वाले सर्वेयर का मानदेय दिया जाता है। तत्पश्चात मन् उप अधीक्षक पुलिस ने आरोपी द्वारा अपनी फर्म के टीएल श्री समय सिंह गुर्जर के मोबाईल नम्बर उपलब्ध कराने पर जरिये दूरभाष वार्ता करने पर उसने कार्यवाही स्थल पर शीघ्र उपस्थित होने बाबत अवगत कराया। समय 04:55 पीएम पर श्री समय सिंह गुर्जर मौके पर उपस्थित आये। जिन्हें मन् उप अधीक्षक पुलिस ने अपना तथा हमराहियान का परिचय देकर पूर्ण प्रयोजन बताकर पूर्ण नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री समय सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामकरण गुर्जर जाति गुर्जर उम्र 24 साल निवासी मूही पुलिस थाना बसवा जिला दौसा हाल टीम लीडर कम सर्वेयर, स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, जयपुर होना बताया। तत्पश्चात श्री समय सिंह गुर्जर से पूछने पर उन्होंने बताया कि इस मामले की मुझे कोई जानकारी नहीं है। श्री महेश कुमार शर्मा तथा श्री रोहिताश मीणा दोनों ही हमारी फर्म में सर्वेयर है। जिनको मैं पहचानता हूं। इन्होंने किसी से रिश्वत ली है तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। उक्त दोनों के सर्वेयर कार्य के लिये नियुक्ति सम्बंधित दस्तावेजात की छायाप्रति मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारी फर्म नगर निगम, ग्रेटर तथा हेरिटेज दोनों से अनुबंधित है। जिसके लिये फर्म को नगर निगम से तथा सर्वेयर व अन्य स्टाफ को फर्म से मानदेय प्राप्त होता है। फर्म के अनुबंध के सम्बंध में अधिकार पत्र की छायाप्रति आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। इस प्रकार श्री समय सिंह गुर्जर द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों तथा अब तक की कार्यवाही से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम–1988 (संशोधन 2018) के प्रावधानों के अनुसार आरोपीगण श्री महेश कुमार शर्मा तथा श्री रोहिताश मीणा लोकसेवक की श्रैणी में आते है। तत्पश्चात् श्री समय सिंह गुर्जर द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वयं द्वारा सत्यापित फोटोप्रति दस्तावेजात को बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की कार्यवाही से आरोपीगण श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अनिल शर्मा जाति ब्राह्मण उम्र 21 साल पैशा सर्वेयर फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड निवासी ग्राम पोस्ट लालवास तहसील जमवारामगढ पुलिस थाना आंधी जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल सर्वेयर, (एम्पलॉयी कोड– SSPL 003853)फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी–52, केशव एन्कलेव, लालकोठी, जयपुर एवं श्री रोहिताश मीणा पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा जाति मीणा उम्र 21 साल पैशा सर्वेयर फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड निवासी ग्राम पोस्ट बाढ रसूलपुरा पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल सर्वेयर, (एम्पलॉयी कोड– SSPL 003821)फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी–52, केशव एन्कलेव, लालकोठी, जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) के प्रावधानानुसार लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री मुकेश राज के मकान के नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) की गणना व्यावसायिक भवन के रूप में नहीं कर आवासीय भवन के रूप में कर नगरीय विकास कर कम करने के ऐवज में 40,000/–रूपये के अनुचित लाभ की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन के कम में आज दिनांक 09.09.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा परिवादी से उक्त कार्य के एवज में 20,000/– रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) एवं 120 बी भादंस में कारित करना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाने पर आरोपीगण को उसके जुर्म से आगाह कर रूबरू मौतबिरान के जरिये फर्द पृथक–पृथक गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा की जामा तलाशी में बरामद मोबाईल फोन प्रकरण में बतौर वजह सबूत होने से आरोपी के मोबाईल को जरिये फर्द पृथक से जब्त किया गया।

(५)

तत्पश्चात उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी की निशादेही से घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा एवं हालात मौका मूर्तिब किया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहीयान जाब्ता, स्वतंत्र गवाहान मय गिरफ्तारशुदा आरोपीगणों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। मौके कार्यवाही से मय जाब्ता एवं गिरफतारशुदा आरोपीगण के रवाना होकर मय ट्रेप बॉक्स, लैपटॉप प्रिन्टर, जब्तशुदा आर्टिकल्स, रिश्वत राशि 20.000/रूपये,वाहन सरकारी/निजी चालकों के ब्यूरो, मुख्यालय पहुंचा।

तत्पश्चात दिनांक 10.09.2022 को दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष दिनांक 07.09.2022 को आरोपीगण तथा परिवादी के मध्य रिश्वति मांग सत्यापन के समय हुई वार्ता तथा दिनांक 09.09.2022 को रिश्वत आदान-प्रदान वार्ता एवं दोनों आरोपीगण के मध्य हुई फोन पर वार्ता, जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है, की फर्द ट्रांसक्रिप्शन तैयार की जाकर सभी के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा दोनों गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वती लेन-देन के समय हुई वार्ता की कम्प्यूटर के जरिये पांच सी.डी. तैयार कर मार्का अंकित कर सील्डमोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड को एक खाली माचिस की डिब्बी में रखकर माचिस की डिब्बी को सफेद कपडे की थेली में रखकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर सील मोहर कर थैली पर मार्क SD' अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। जब्तशुदा आर्टिकल्स को जमा मालखाना करवाकर रसीद प्राप्त की गई। आरोपी से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट पृथक से मूर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली किया गया। गिरफ्तारशुदा आरोपीगण को बाद पूछताछ माननीय न्यायाधीश महोदय को पेश किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।

अब तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से आरोपीगण श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अनिल शर्मा जाति ब्राहमण उम्र 21 साल पैशा सर्वेयर फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड निवासी ग्राम पोस्ट लालवास तहसील जमवारामगढ पुलिस थाना आंधी जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल सर्वेयर, (एम्पलॉयी कोड- SSPL 003853)फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी-52, केशव एन्कलेव, लालकोठी, जयपुर एवं श्री रोहिताश मीणा पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा जाति मीणा उम्र 21 साल पैशा सर्वेयर फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड निवासी ग्राम पोस्ट बाढ रसूलपुरा पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण, जयपुर हाल सर्वेयर, (एम्पलॉयी कोड- SSPL 003821)फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी-52, केशव एन्कलेव, लालकोठी, जयपुर द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) के प्रावधानानुसार लोकसेवक होते हुये परिवादी श्री मुकेश राज के मकान के नगरीय विकास कर (यूडी टेक्स) की गणना व्यावसायिक भवन के रूप में नहीं कर आवासीय भवन के रूप में कर नगरीय विकास कर कम करने के ऐवज में 40,000/-रूपये के अनुचित लाभ की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन के क्रम में दिनांक 09.09.2022 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री महेश कुमार शर्मा द्वारा परिवादी से उक्त कार्य के एवज में स्वयं तथा आरोपी श्री रोहिताश मीणा के लिये 20,000/- रूपये बतौर अनुचित लाभ प्राप्त करने से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) एवं 120 बी भादंसं में कारित करना प्राथमिक तौर पर प्रमाणित होना पाया गया है। अतः उपरोक्त आरोपीगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018व 120 बी भा.दं.सं. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु मुख्यालय प्रेषित है।

(परमेश्वर लाल)
उप अधीक्षक पुलिस
विशेष अनुसंधान ईकाई
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री परमेश्वर लाल, उप अधीक्षक पुलिस, विशेष अनुसंधान ईकाई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री महेश कुमार शर्मा पुत्र श्री अनिल शर्मा, निवासी ग्राम पोस्ट लालवास, तहसील जमवारामगढ़, पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण, हाल सर्वेयर (एम्पलॉयी कोड SSPL 003853), फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी-52 केशव एनक्लेव लालकोठी, जयपुर एवं 2. श्री रोहिताश मीणा पुत्र श्री भगवान सहाय मीणा, निवासी ग्राम पोस्ट बाढ़ रसूलपुरा, पुलिस थाना आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण हाल सर्वेयर (एम्पलॉयी कोड SSPL 003821), फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी-52 केशव एनक्लेव लालकोठी, जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 356/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

10.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक: 3089-3094 दिनांक 10.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्र. सं.-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. आयुक्त, नगर निगम-ग्रेटर, जयपुर।
4. प्रबन्धक निदेशक(एच आर), फर्म स्पेरो सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड, सी-52 केशव एनक्लेव लालकोठी, जयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, विशेष अनुसंधान ईकाई, जयपुर।

10.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।